न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉं जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र:–70 / 2019 दायर दिनांक: 15.07.2019

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. जुम्मा आत्मज हजारा जाति मुस्लमान तैली निवासी कालामाल तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थी

बनाम

1. बदरूददीन आत्मज जुम्मा खां जाति मुस्लमान तैली निवासी कालामाल तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. शोजी आत्मज अम्बालाल जाति मीना तैली निवासी कालामाल तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. भूमिधारी राजस्थान सरकार द्वारा श्रीयुत तहसीलदार साहब तहसील नैनवां।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र – अन्तर्गत धारा 251''क'' आर.टी.एक्ट

उपस्थिति:–

1. प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री रमेश कहार एडवोकेट।
2. अप्रार्थीगण के अभिभाषक श्री सत्यनारायण लवानियां।

निर्णय दिनांक 28.10.2020

संक्षेप में प्रार्थना–पत्र का कथन इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम कालामाल पटवार मण्डल कालामाल तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान में जमाबन्दी संवत् 2073–2076 की खाता संख्या 54 की खसरा संख्या 401 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा व जमाबन्दी संवत् 2073–2076 की खाता संख्या 55 की खसरा संख्या 405 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा स्थित है। प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 2 से खातेदारी की भूमि ग्राम कालामाल पटवार मण्डल कालामाल तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान में जमाबन्दी संवत् 2073–2076 की खाता संख्या 54 की खसरा संख्या 401 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा स्थित है। प्रार्थी के खातेदारी की भूमि पर आने जाने व कृषि सामानों को लाने के लिए रास्ता राजस्व रिकार्ड में मौजूद नहीं होने से प्रार्थी को खेती काश्त में भारी समस्या का सामना करना पडता है। इसके लिए दिनांक 12 / 06 / 2002 को रास्ते में आने वाली भूमि का माप कर मूल्य आंकलन कर खातेदारान प्रत्यार्थीगण को अदा कर स्टाम्प लिखवा लिया गया था लेकिन रास्ता तरमीम न होने के कारण प्रत्यार्थीगण उक्त रास्ते पर आना–कानी करते है इस कारण कभी–कभी तो भूमि पडत भी रह जाती है, जिससे की प्रार्थी के भूखे मरने की नोबत आ जावेगी। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र, नकल जमाबन्दी खसरा संख्या 405 एवं 401, नकल नक्शा–ट्रेश, इकरार नामा दिनांक 12.06.2002 की प्रतिलिपी आदि पेश किये है।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी जुम्मा की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 405 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा ग्राम कालामाल में आने [illegible] अनुसार रास्ता दिए जो में रास्ते के शुरूआत में (बिन्दू संख्या अ के पास) खसरा [illegible] में सह खातेदार शोजी आत्मज अैम्बालाल मीणा का मकान बौरिंग [illegible] से [illegible] में घुमाव लगेगा तथा लम्बाई अधिक होने से भूमि रास्ते में ज्यादा [illegible] 401 के दक्षिण मेर के सहारे वैकल्पिक सीधा रास्ता दिए जाने [illegible] जावेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.01.15 12:59:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

दोनो तरफ से रास्ता दिए जाने में प्रार्थी की खातेदारी भूमि आराजी खसरा संख्या 405 तक जाने में खसरा संख्या 402 गैर मुमकिन धोरा सिंचाई विभाग का खाता दर्ज है जिसकी भूमि रास्ते में आती है।

परिशिष्ट अ में दर्शाए अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिए जाने पर खसरा संख्या 401 तथा 402 खातेदारी भूमि की कुल भूमि 07.3 बिस्वा/146 वर्ग गठ्ठा आती है जबकि प्रस्तावित वैकल्पिक सीधा रास्ता अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिए जाने पर खसरा संख्या 401 खातेदारी भूमि 51 * 2 = 102 वर्ग गठ्ठा तथा खसरा संख्या 402 खातेदारी भूमि गै0मु0 धोरा (सिंचाई विभाग) 2 * 2= 4 वर्ग गठ्ठा कुल भूमि 05.3 बिस्वा/106 वर्ग गठ्ठा आती है।

मुताबिक जमाबन्दी रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि की किस्म नहरी है, ग्राम कालामाल में नहरी भूमि की डीएलसी दर 125010 रूपये प्रति बीघा है।

हमने प्रार्थना-पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, जवाब प्रार्थना-पत्र एवं रिपोर्ट रास्ते बाबत तहसीलदार का अवलोकन किया। प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनी गई, प्रार्थीगण को उनके खातेदारी के खेत में आने-जाने व ट्रेक्टर ट्रॉली कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। जिसको तहसीलदार नैनवां ने भी अपनी रिपोर्ट में रास्ता दिया जाना उपयुक्त माना है तथा रास्ते को नक्शा ट्रेश में प्रस्तावित कर पेश किया है। अतः न्यायालय प्रार्थी को अपने खाते के खेत में पहुंचने के लिये रास्ता दिया जाना न्यायोचित समझता है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। ग्राम कालामाल तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान में जमाबन्दी संवत् 2073-2076 की खाता संख्या 54 की खसरा संख्या 401 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा व जमाबन्दी संवत् 2073-2076 की खाता संख्या 55 की खसरा संख्या 405 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा पर आने-जाने हेतू प्रस्तावित वैकल्पिक सीधा रास्ता अनुसार खसरा संख्या 401 खातेदारी भूमि 51 * 2 = 102 वर्ग गठ्ठा तथा खसरा संख्या 402 खातेदारी भूमि गै0मु0 धोरा (सिंचाई विभाग) 2 * 2= 4 वर्ग गठ्ठा कुल भूमि 05.3 बिस्वा/106 वर्ग गठ्ठा भूमि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेश के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तावित रास्ते के नक्शा ट्रेश को परिशिष्ट-"क" नाम दिया गया है, जो इस न्यायालय निर्णय का अंग होगा, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार डीएलसी दर का दुगुना प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरांत दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। रास्ते में जिन खातेदारान की भूमि उपयोग में आती हो, उनको रास्ते की राशि प्रतिकर में से भुगतान की जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ नैनवाँ (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.01.15 12:59:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner